उत्तर प्रदेश सरकार

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

संख्या–1340 / चालीस–2001–2001–15(10) / 99

लखनऊ,दिनांक 03 अगस्त,2001

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में निवासरत जन सामान्य व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस दिशा में उनका पूर्ण योगदान रहा हो, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करते हुए उन्हें पुरस्कृत किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ताकि उससे प्रेरणा लेकर समाज के सभी नागरिकों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके।

अतएव प्रश्नगत उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय, 'गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना' प्रदेश में प्रारम्भ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिसके लिये योजना का निम्न स्वरूप/कार्यकारी सिद्धान्त विनिश्चित किया गया है:–

1–योजना का नाम– यह योजना गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता योजना कहलायेगी।

2–संख्या एवं राशि– गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के अन्तर्गत एक महानुभाव को रुपये एक लाख का नकद पुरस्कार व एक प्रशस्ति पत्र गुरु गोविन्द सिंह जी के जन्म तिथि पर प्रदान किया जायेगा।

3–अर्हतायें– गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हेतु निम्नलिखित अर्हतायें होना आवश्यक है:–

क–भारत का मूल नागरिक हो,

ख–उ0प्र0 राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हो,

ग–मानवाधिकार, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो,

घ–गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार न दिया जा चुका हो,

4—प्रक्रिया— क— समाचार पत्रों व अन्य प्रसार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करके व प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों से प्रचारित कराकर निर्धारित प्रारुप में पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र-/नामांकन संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जायेंगे।

ख—निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों/नामांकन को संकलित कर नियम—5 में प्राविधानित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो सर्वोत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य करने वाले एक महानुभाव का चयन कर अपनी संस्तुति राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को प्रस्तुत करेगी।

5— चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

क—	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
ख—	प्रमुख सचिव, गृह विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
ग—	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
घ—	सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य/संयोजक

6—समारोह (क) पुरस्कार वितरण के लिये समारोह का आयोजन राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा लखनऊ में या ऐसे स्थान पर जैसा कि शासन द्वारा निर्णय लिया जाय, होगा।

(ख) पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने वाले महानुभाव को समारोह में भाग लेने के लिये उनके निवास स्थान से समारोह स्थल तक आने-जाने, ठहरने व भोजन की समुचित व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी।

(ग) पुरस्कार हेतु चयनित अत्यन्त वृद्ध अथवा गम्भीर रुप से अस्वस्थ या शारीरिक रुप से पूर्णतया अशक्त तथा चलने फिरने में असमर्थ महानुभाव को सम्मान समारोह में भाग लेने हेतु अपनी सहायता के लिये सहायक साथ लाने की सुविधा देय होगी तथा उक्त सहायक को भी आने-जाने, भोजन तथा आवास की यथावत् व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी।

ह0/-
अशोक घोष
सचिव।

संख्या–1340(1)/40–2001–15(10)/99–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद।

2– कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

3– अधीक्षक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0,लखनऊ।

4– निदेशक,सूचना विभाग,उ0प्र, लखनऊ।

5– स्थानिक आयुक्त,उ0प्र0, नई दिल्ली।

6– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

7– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

ह0/–

(डा0 नन्द लाल)
अनु सचिव।